न्यायालय सहायक कलक्टर, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री मासिंगा राम (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 119 / 2022

वादी

1. गणपतलाल पुत्र भंवरलाल जाति मेघवाल निवासी अटबड़ा तह0 सोजत जिला पाली राज0।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. श्यामलाल पुत्र ढगलाराम जाति सरगरा निवासी रून्दिया, तह0 सोजत जिला पाली राज0।
2. टीकमराम धोबी पुत्र उदाराम धोबी जाति धोबी निवासी अटबडा तह0 सोजत जिला पाली राज0।
3. रामेश्वरलाल पुत्र दौलाराम जाति सरगरा निवासी थरासनी तह0 सोजत जिला पाली राज0।
4. धर्माराम पुत्र जगाराम जाति सरगरा निवासी बरना तह0 बिलाड़ा जिला जोधपुर राज0।
5. तहसीलदार सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. श्री विनोद वैष्णव अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. श्री नवीन गहलोत अधिवक्ता प्रति सं0 01 व 03 उप0।
3. श्री गोविन्द बंजारा अधिवक्ता प्रति सं0 02 व 04 उप0।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

—: **निर्णय** :— दिनांक — 08/10/2025

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा रून्दिया, तहसील सोजत के खसरा नम्बर 231, 232 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.9200 है0 की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। वादी द्वारा अपने हक हिस्से की कृषि भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा चाहा गया हैं। प्रकरण में दिनांक 18.01.2024 को बाद सुनवाई वादी का वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर वादी की भूमि का मौका, कब्जा, रेकर्ड तथा हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर उक्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत ने क्रमांक/रीडर/2024/1251 दिनांक 29.08.2024 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश किया, जो सा0मि0 है। प्राप्त माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार अधिवक्ता वादी एवं प्रति सं0 02 व 04 द्वारा निर्णय पारित कर डिक्री जारी किये जाने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपुर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार होने से माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

नक्शा दिनांक 03.07.2024 वादी का राजस्व वाद डिक्री किया जाकर विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाडा किया जाना उचित समझते है।

-: **आदेश** :-

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 08.07.2025 अनुसार डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा रून्दिया, तहसील सोजत के खसरा नम्बर 231, 232 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.9200 है0 की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का बंटवाड़ा / विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

01 ग्राम रून्दिया में स्थित कृषि भूमि का विभाजनः–

क्र. स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	गणपतलाल पुत्र भंवरलाल कौम मेघवाल सा0 अटबड़ा खातेदार।	231/3 232/3	0.1700 0.0310	बा0दो0 बा0दो0	–
	कुल	02	0.4800	–	3.84
2.	टीकमराम धोबी पुत्र उदाराम धोबी सा0 अटबड़ा खातेदार	231/2 232/2	0.2200 0.2600	बा0दो0 बा0दो0	–
	कुल	02	0.4800	–	3.84
3.	धर्माराम पुत्र जगाराम जाति सरगरा हि0 1/2 सा0 बरना खातेदार टीकमराम धोबी पुत्र उदाराम धोबी हि0 1/2 सा0 अटबड़ा खातेदार	231/1 232/1	0.2200 0.2600	बा0दो0 बा0दो0	–
	कुल	02	0.4800	–	3.84
4.	रामेश्वरलाल पुत्र दौलाराम जाति सरगरा सा0 थरासनी 2/3 खातेदार श्यामलाल पुत्र ढगलाराम जाति सरगरा सा0 देह 1/3 खातेदार	231 232	0.2200 0.2600	बा0दो0 बा0दो0	–
	कुल	02	0.4800	–	3.84

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। प्रतिवादीगण को वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत

उप खण्ड अधिकारी, सोजत, जिला-पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 08/10/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
सोजत (राज.)